

डिगरी व मुकदमें ईबतदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरौही

बईजलास श्री नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस

न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के रा.लो.अ.केम्प कोर्ट अटलसेवा केन्द्र कालंद्री

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1- शान्तिदेवी पत्नि मोहनलाल जी जति गरोडा आयु 45 वर्ष नि. रायपुरीया तहसील व जिला सिरौही		1- रमेशकुमार पुत्र सकारामजी जाति मेघवाल निवासी होलीचौक के पास कालन्द्री तह.व जि.सिरौही
2- श्रीमती गंगादेवी मेघवाल पत्नि लीलारामजी जाति मेघवाल आयु 27 वर्ष नि.सरतरा तहसील व जिला सिरौही		2- शान्तिलाल पुत्र चुनाजी जाति मेघवाल निवासी वलदरा तहसील व जि.सिरौही 3- सरकार जरिये तहसीलदार, सिरौही

राजस्व वाद अ.धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं.67/2016

यह मुकदमा आजरूबरू सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ सिरौही व हाजरी वादीया वकील श्री सुरेशकुमार वैष्णव तथा प्रतिवादी संख्या 2 शान्तिलाल स्वयं उप0। वादीया का यह वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरौही(भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है मौजा कालन्द्री पटवार हल्का कालन्द्री 1 तहसील सिरौही जिला सिरौही व तहसील व जिला सिरौही में स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नंबर 1027 रकबा 0.46 हेक्टेयर का वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन पक्षकारान के वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज हक हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर बंटवाड प्रस्ताव मे पक्षकारान के मौके, सडक रास्ते के सुखाधिकार को ध्यान मे रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 तक की पालना करते हुये बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में एक माह में इस न्यायालय में भेजे । वाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करें बराब्स मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 23-5-2018 को जारी किया जाता है ।

मुदाई
स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबुत
रार्धा गवाहन
फीस कमीश्नर
मुतफरीक
बाबत इजराय हुक्मनामा
मौजान

रु. पै.

NIL

मुद्दायलाह
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
महन्ताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरीक
मौजान

रु. पै.

NIL



(Signature)
23/5/18
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरौही